तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/पीडीआर./10024/2003/जयपुर मै0डायोकेम इण्डस्ट्रीज बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री हेमन्त सोगानी, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
(2) श्री खुर्शीद अनवर, उपराजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं.2

निर्णय दिनांक : 14.1.2019

प्रार्थी ने यह निगरानी धारा 23बी 'दी राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी एक्ट, 1952' के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–5–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को निगरानी के नोटिस की सम्यक तामील के बावजूद उसकी ओर से कोई भी हाजिर नहीं हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के विरूद्ध 25173/–रूपये की वसूली हेतु सर्टिफिकेट दिनांक 1–1–2000 को राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 की धारा 4 के तहत प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा जारी किया गया, जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने कलक्टर, वसूली जयपुर के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 7–7–2000 से खारिज कर दी। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 4–5–2002 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थी द्वारा भेजे गये माल में से कोई भी माल कम नहीं था और

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/पीडीआर./10024/2003/जयपुर मै0डायोकेम इण्डस्ट्रीज बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संविदा के अनुरूप माल भेजे जाने के पश्चात् अप्रार्थी संख्या–1 ने माल प्राप्त करने के पश्चात् अदा की जाने वाली राशि का पहले आंशिक तथा उसके पश्चात् सम्पूर्ण भुगतान कर दिया। इसके बावजूद 10वर्ष की समयावधि उपरान्त प्रार्थी द्वारा भेजे गये माल में से कुछ माल कम हुआ मानते हुए उसकी आपूर्ति हेतु जो राशि बकाया बताई गयी है, वह पब्लिक डिमाण्ड की परिभाषा में नहीं आती है। उनका कथन है कि सर्टिफिकेट में ऐसा कोई तथ्य अंकित ही नहीं किया गया है कि विभाग व प्रार्थी के मध्य संविदा की पालना नहीं की गयी हो। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किये गये है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को निरस्त किया जावे तथा सर्टिफिकेट व उसके अन्तर्गत दर्शाई गयी मांग निरस्त की जावे। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा आपूर्ति किये गये माल में कुछ माल कम था, जिसकी वसूली हेतु नियमानुसार मांग वसूली का सटिफिकेट जारी किया। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत् आदेश पारित किये गये है, जिनमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों में ऐसा एक भी प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा ने निगराकार फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये सामान में से कम सामान के आधार पर 10 वर्षो में वसूली हेतु कोई प्रयास किया गया हो। नियमानुसार माल की प्राप्ति होने पर स्टाक में प्रविष्टि किये जाने से पूर्व स्टोर कीपर द्वारा कम सामग्री की कीमत बिल में से घटा कर ही भुगतान की अनुशंषा करनी थी।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/पीडीआर./10024/2003/जयपुर मै0डायोकेम इण्डस्ट्रीज बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी फर्म ने संविदा में निष्पादित शर्तो के अनुरूप माल की सप्लाई की गयी, जिसका आंशिक एवं सम्पूर्ण भुगतान प्रार्थी फर्म को विभाग द्वारा कर दिया गया। इस प्रकार प्रार्थी फर्म से भुगतान प्राप्ति के 10 वर्ष उपरान्त वसूली कायम की गयी है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। वसूली विभागीय कार्मिक से ही की जा सकती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णय विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 4–5–2002 एवं 7–7–2000 एवं सर्टिफिकेट एवं उसके अन्तर्गत दर्शायी गयी मांग राशि निरस्त की जाती है।

निर्णय की सूचना उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य